सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

20/06/19 उभयपक्ष अधिवक्ता उप.।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया की प्रार्थी बादग्रस्त जमीन का खातेदार है। प्रतिवादीगण की तरफ से जमीन पर एक हिस्सा घेर काबिज को दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कब्जा काश्त के बारे में कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध है।

बाद बहस प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस सुनाई। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया की उक्त बादग्रस्त जमीन प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 के पिता व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के दादा फकीरें खां द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की गई थी उक्त बादग्रस्त भूमि क्रय करते समय अप्रार्थी सं. 1 नाबालिग था इसलिए उक्त भूमि कि मुटेशन उसके बड़े भाई प्रार्थी अल्लानामा के नाम के करवाए गई थी। वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप ½-½ हिस्से में काश्त करते है व स्थिति अनुसार उनका कब्जा काश्त है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन व मनन प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों पक्षों को इस तरह पाबंद किया जाता है कि वह पत्रावली के मूलवाद के निस्तारण तक वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार ही कब्जा काश्त करेंगे कोई भी पक्ष किसी दूसरे पक्ष के हक हिस्से में किसी प्रकार की कोई

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दखल अंदाजी न तो स्वयं करेगा और न ही किसी से करवायेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर मुतल्लका पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner